न्यायालय जिला कलक्टर , भीलवाड़ा
(पीठासीन अधिकारी श्रीमती शुचि त्यागी आई•ए•एस•)

प्रकरण संख्या 19/2018 अपील

उनवान

बनाम

1. श्री रामकिशन कीर पिता उदा कीर निवासी प्रतापनगर कॉलोनी, गुलाबपुरा तहसील हुरडा, जिला भीलवाड़ा

2. श्रीमती लाली कीर पत्नी श्री रामकिशन कीर, निवासी प्रतापनगर कॉलोनी, गुलाबपुरा, तहसील हुरडा, जिला भीलवाड़ा

–अपीलार्थी

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आदेश सहायक कलक्टर (एस0डी0ओ0) गुलाबपुरा दिनांकित 11.02.2017 प्रकरण सं0 5/2017 वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम

निर्णय

उपस्थित :– 1 श्री रामस्वरूप जोशी, अधिवक्ता अपीलांट
2 श्रीमती निर्मला जैन, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट, अनुपस्थित

दिनांक :– 12-09.2018

अपीलार्थी ने अपील प्रस्तुत निवेदन किया है कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट ने एक प्रार्थना पत्र दिनांक 22.12.2016 को अंतर्गत धारा 5(1) (क) और (ख) वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि रेस्पोडेन्ट को अपने भेजन, कपडे एवं बीमारी की अवस्था में इलाज कराने के लिये व रहवासी मकान में निवास करने दिया जावे व भरण पोषण के रूप में 5,000/– रूपया मासिक दिलाया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तूत प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है इस कारण वह जवाबदार को बेवजह परेशाान करने के लिये बार–बार पुलिस थाना एवं न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो जाती है और जवाबदार के साथ निवास कर रही है व जवाबदार ही उसका भरण पोषण एवं अन्य खर्चे वहन कर रहा है रेस्पोडेन्ट ने गलत आधारों पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो कतई पोषणीय नहीं है एवं निरस्त होने योग्य है।

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

अधिनस्थ न्यायालय ने विधि एवं तथ्यों के विपरीत जाकर आदेश पारित किया है जो निरस्त होने योग्य है अपीलार्थी रेस्पोडेन्ट का पति है और अपीलार्थी ही उसका भरण पोषण एवं अन्य समस्त खर्चा वहन कर रहा है तथा रेस्पोडेन्ट ने वरिष्ठ नागरिको का भरण पो ण एवं कल्याण अधिनियम का गलत तौर पर अवलंब लिया है। पति के विरूद्ध उक्त अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं है बल्कि उक्त अधिनियम बच्चो द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को परेशान करने एवं उनका भरण पोषण नही करने की स्थिति में न्यायालय द्वारा उक्त अधिनियम के तहत वरिष्ठ नागरिको का संरक्षण किया गया है इसलिये उक्त अधिनियम के प्रावधान अपीलार्थी पर कतई लागू नहीं है।

रेस्पोडेन्ट की उम्र वर्तमान में 45 वर्ष है और वह स्वयं मेहनत मजदूरी करती है औरेस्पोडेन्ट वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी में नहीं है इस आधार पर रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत आवेदन स्वतः ही निरस्त होने योग्य है फिर भी मातहत न्यायालय ने अपीलार्थी के विरूद्ध2500/– रूप्ये प्रतिमाह भरण पोषण का आदेश पारित कर भूल की है।

रेस्पोडेन्ट ने अपीलार्थी को को–ऑपरेटिव मील मे नौकरी करना बताया जबकि उक्त मील विगत 1 वर्ष से पूर्णतः बंद है। अपीलार्थी के पास कोई कृषि भूमि नहीं है। अपीलार्थी को बेवजह परेशान करने दरज से रेस्पोडेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदन पेश किया है। रेस्पोडेन्ट वरिष्ठ नागरिक नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट के प्रार्थनापत्र अंतर्गत माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण तथा कल्याण अधिनियम की धारा 5(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 11.02.2017 को जो आदेश पारित किया गया है अधिनियम के तहत प्रावधानों के विपरीत जाकर आदेश पारित किया है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 11.02.2017 का निरस्त कराया जावे।

अपीलार्थी की दिनांक 23.03.2017 को दर्ज रजिस्टर कर प्रत्यर्थी को नोटिस जारी किये। रेस्पोडेन्ट द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं करने से दिनांक 26.06.2018 को रेस्पोडेन्ट का जवाब बन्द किया गया। प्रकरण में अपीलान्ट की बहस सुनी गई। अपीलांट के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मेमों में अंकित बिन्दुओं के तथ्यों को दोहरातें हुए अधिनस्थ न्यायालय के 11.02.2017 को निरस्त कराने की प्रार्थना की है।

अपीलांट की अपील का अध्ययन किया गया। अपीलांट अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय के प्रकरण सं0 5/2017 में पारित निर्णय दिनांक 11.02.2017 इस प्रकार है :–

"प्रार्थना पत्र प्रार्थीया स्वीकार किया जाकर प्रार्थीया को माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण तथा कल्याण अधिनियम–2007 की धारा–8 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये आदेश दिया जाता है कि वह प्रार्थीया श्रीमती लाली को जीवन की मूलभूत आवश्यकता जैसे आवास, भोजन, वस्त्र, चिकित्सा सुविधा आदि उपलब्ध करवायेंगे, ताकि प्रार्थीया अपना सामान्य जीवन यापन कर सके। साथ ही अप्रार्थी प्रार्थीया को प्रतिमाह भरण–पोषण के रू॰ में 2500/– रूपये की राशि आजीवन अदा करेंगे। जो प्रत्येक माह की 05 तारीख तक जरिये चैक से प्रार्थीया को अदा करनी होगी। इस अधिनियम के तहत दिये गये भरण–पोषण के आदेश का वही बल अधीन पारित आदेश का होता है। इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रार्थीया व अप्रार्थी को दी जावें। पत्रावली सुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर करें। आदेश आज दिनांक 11.02.2017 को खुली अदालत में सुनाया गया।"

भीलवाड़ा

अधिनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट ने प्रार्थनापत्र अंतर्गत माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण एवं कल्याण अधिनियम की धारा 5(1) का अपीलार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया है। रेस्पोडेन्ट व अपीलार्थी का आपस में पति व पत्नी का संबंध है जबकि उक्त अधिनियम माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण–पोषण के लिए है। रेस्पोडेन्ट को भरण–पोषण हेतु पारिवारिक न्यायालय से अनुतोष प्राप्त किया जाना चाहिए। उपरोक्त विवेचन के अनुसार अपीलार्थी की अपील स्वीकार योग्य ठहरती है। अतएव

आदेश

अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट के प्रार्थना पत्र अंतर्गत माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण एवं कल्याण अधिनियम की धारा 5(1) का अपीलार्थी के विरूद्ध स्वीकार किया गया हैं। अपीलार्थी व रेस्पोडेन्ट में पति–पत्नी का संबंध है जबकि उक्त अधिनियम माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण–पोषण के लिए है। रेस्पोडेन्ट का अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं है। अतः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुलाबपुरा द्वारा प्रकरण सं0 5/2017 में पारित निर्णय दिनांक 11.02.2017 अपास्त किया जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को मूल पत्रावली के साथ संप्रेषित की जावें।

निर्णय आज दिनांक १२ –09–2018 को बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
भीलवाड़ा

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

चलनीय नहीं है एवं निरस्त होने योग्य है।